

राष्ट्रीय लोक अदालत

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
मुकदमा नम्बर - 22/2022
इन्द्र सिंह वगै0 बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

14.05.2022

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत होने से आज पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार झुन्झुनू का अवलोकन किया गया। तहसीलदार झुन्झुनू ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम लालपुर के खाता संख्या 248 में भागीरथ की मृत्यु के पश्चात वारिसान के नाम नामान्तकरण संख्या 1161 दिनांक 20.09.2021 पर दर्ज किया गया। वारिसों के दस्तावेजातों की जांच करने पर पाया गया कि दस्तावेजातों में भागुराम दर्ज है। ग्रामवासियों से पूछताछ करने पर पाया गया कि भागीरथ एवं भागुराम एक ही व्यक्ति हैं। अतः भागीरथ के स्थान पर भागुराम किया जाना उचित है बाबत रिपोर्ट पेश की है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं रिपोर्ट तहसीलदार के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम लालपुर तहत तहसील झुन्झुनू की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 248 में आवेदकगण के पिता एवं पति का नाम भागीरथ के स्थान पर भागुराम शुद्ध किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाना उचित है अतः

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम लालपुर तहत तहसील झुन्झुनू की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 248 में आवेदकगण के पिता एवं पति का नाम भागीरथ के स्थान पर भागुराम शुद्ध किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैंशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 14.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

[Signature]
अपर जिल्ला एवं तैरान न्यायाधीश
स. 2. झुन्झुनू (सज.)

[Signature]
14.05.22
अपर जिल्ला अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)